प्र.स. 43/21 रमेश बनाम बाबुलाल

मुकदमा व सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थायी निषेघाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा नाराणी पटवार हल्का नाराणी की आराजी संख्या 661 रकबा 0.55 हैक्ट0,आराजी संख्या 666 रकबा 0.29 हैक्ट0, आराजी संख्या 668 रकबा 0.48 हैक्ट0, आराजी संख्या 697 रकबा 0.35 हैक्ट0, आराजी संख्या 700 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.23 हैक्ट0, आराजी संख्या 1330 रकबा 0.95 हैक्ट0, आराजी संख्या 1055 रकबा 0.05 हैक्ट0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.35 हैक्ट0 एवं मौजा बसेड़ी कुण्डाल पटवार हल्का नाराणी की आराजी संख्या 225 रकबा 1.13 हैक्ट0, आराजी संख्या 226 रकबा 0.48 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.61 हैक्ट0 की भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्षकारान द्वारा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखते हुऐ उक्त आराजीयात को रहन बय बक्ष न करें करावें उभयपक्षकारान को आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। क्यों न इस आदेश को ताफैसला वाद स्थाई कर दिया जावें। वजह जाहिर करें। इस एकपक्षीय आदेश को आईन्दा तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व युक्तियुक्त कारणों पर विचार किया जावेंगा। तथा यदि आदेश को विस्तारित नहीं किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही शून्य माना जावेगा। अप्रार्थीगण के नोटिस की तामिल साधारण प्रकिया के साथ–साथ नोटिस के साथ इस आदेश की प्रति सहित रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावें। प्रार्थी उक्त नोटिसेज पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर पोस्टल रसीद तीन दिन में प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 06.12.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

17/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। स्वयं प्रार्थी उप.। प्रार्थी द्वारा वादपत्र को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः वादपत्र विड्रो होने से प्रार्थना पत्र 212 की विड्रो होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

Note Pr...

रमेश